

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक.-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्था0/बून्दी/वी-07/2019/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(सौधी भर्ती-2013)/2016/60 दिनांक 10.02.2016 व 72 दिनांक 03.02.2017 के द्वारा निम्न का नर्स-2 के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिदीक्षाकाल पर नियुक्तियों प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिदीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से स्थाई/नियमित करते हुये इन्हें परिदीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स-2 के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल 11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिदीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिदीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती प्रीति नायक	बून्दी	30.09.90	15.02.16	17.02.18	18.02.18
2	आशीष शर्मा	बून्दी	18.08.85	21.02.17	20.02.19	21.02.19

क्रम संख्या 01 के कार्मिक प्रीति नायक, नर्स-2 के द्वारा परिदीक्षाकाल में 32 दिवस असाधारण अवकाश के उपभोग करने के कारण उनके परिदीक्षाकाल में 02 दिवस की अभिवृद्धि की गई है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक- 10/6/19

क्रमांक.-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्था0/बून्दी/वी-07/2019/ 816

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर